न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 114/2012 (2012/00152) बाजदायर दिनांक 08.11.2012
वाद– अन्तर्गत धारा 88,89,15,19,188 आर.टी.ए.

संशोधित शीर्षक

1. सुन्दरलाल आत्मज माधोलाल मेहता निवासी गंगापुर मृतक के बजायः–
1/1. ललितकुमार आत्मज सुन्दरलाल मेहता निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. श्रीमती जमनी विधवा मिठुदास वैष्णव
2. श्रीमती कमला विधवा लालुदास वैष्णव
3. मदनदास उर्फ पप्पु आत्मज बालुदास वैष्णव
4. लक्ष्मणदास उर्फ राजुदास आत्मज बालुदास वैष्णव
5. नारायणदास आत्मज गोपीदास वैष्णव
सर्व निवासी सांगास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. कालु आत्मज चुना लुहार निवासी जीवा का खेड़ा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद
7. जगदीश आत्मज चुना लुहार निवासी जीवा का खेड़ा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद
8. रामचन्द्र आत्मज चुना लुहार निवासी जीवा का खेड़ा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद
9. श्रीमती संतोषी पुत्री चुना लुहार पत्नि भैरूलाल लुहार निवासी गोगाथला तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद
10. श्रीमती नोली बेवा चुना लुहार निवासी जीवा का खेड़ा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद
11. चारभुजा जी स्थान देह अवयस्क जरिये संरक्षक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर, जिला उदयपुर।
12. सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक, गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीः– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः– अनुपस्थित
पेरोकार सरकार

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर 114/2012(2012/00152)
वाद अन्तर्गत धारा 88,89,15,19,188 आर.टी.ए.

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 15, 19, 188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 25.06.2021

वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 15, 19, 188 आर0टी0 एक्ट का पेश किया जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सांगास तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के पूर्वज गिरधारीदास पिता भजनदास वैष्णव निवासी सांगास के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कई आराजियात स्थित थी, गिरधारीदास जी का स्वर्गवास अरसा करीब 55 वर्ष पूर्व ही हो गया था और उसके बाद गिरधारीदास के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की कुल आराजियात विरासत के आधार पर उसके एकमात्र पुत्र मिठुदास के हक व कब्जे में आई।

यह कि मिठुदास ने अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य में आई आराजियात में से आराजी साबिक नम्बर 31 क्षेत्रफल 3 तीन बीघा 10 बिस्वा, आराजी नं0 37 क्षेत्रफल 1 बीघा, आराजी नं0 38 क्षेत्रफल 1 बीघा 6 बिस्वा एवं आराजी नं0 39 क्षेत्रफल 6 बीघा 4 बिस्वा कुल 4 किता आराजियात क्षेत्रफल 12 बीघा को श्री रामा लुहार निवासी जीवाखेड़ा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 20.06.1957 को प्रतिफल 325/– प्राप्त कर विक्रय कर उसके अधिकार एवं कब्जें में सिपुर्द कर दी।

यह कि मिठुदास का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 उसकी विधवा, प्रतिवादी संख्या 2 उसके एकमात्र स्वर्गीय पुत्र बालुदास की विधवा तथा प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 उसके पौत्र है। अतः उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया है।

यह कि रामा लुहार ने अपने जीवनकाल में अपने द्वारा श्री मिठुदास वैष्णव से क्रय की गई, वाद के पैरा नं0 02 में वर्णित कुल आराजियात जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र मुझ वादी को दिनांक 09.01.1959 को प्रतिफल 900/– प्राप्त कर विक्रय कर उन पर मुझ वादी को स्वामित्व , हक एवं कब्जा सौंप दिया। जिसे अरसा 50 वर्ष गुजर चुके है और इस अवधि में किसी भी प्रतिवादी द्वारा मेरे कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या दखल नहीं किया गया।

यह कि श्री रामा लुहार का निःसंतान निधन हो गया है और उसकी पत्नि भी मर चुकी है तथा उसके एकमात्र भाई श्री चुना लुहार का भी निधन हो गया है। प्रतिवादी संख्या 6 , 7 एवं 8 , 9 उसकी पुत्री एवं उसकी विधवा जीवित है।

यह कि श्री रामा लुहार की मृत्यु के पश्चात उसके प्रथम श्रेणी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने से उसका सहोदर चुना उसका एकमात्र वारिस हुआ और उसकी भी मृत्यु हो जाने से प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 को पक्षकार बनाया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
...पुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

यह कि श्री मिठुदास द्वारा श्री रामा लुहार के पक्ष में निष्पादित किये गये विक्रयपत्र दिनांक 20.06.1957 से पहेले ही उसके पिता गिरधारीदास का देहान्त हो चुका था परन्तु विरासत के आधार पर नामान्तरकरण के जरिये गिरधारीदास के खातेदारी की भूमियां मिठूदास के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं की गई थी, इस कारण रामा लुहार के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरकरण नहीं खुलाया जा सकने से उक्त आराजियात रामा के नाम पर राजकीय रेकार्ड मे दर्ज नहीं हो सकी।

यह कि उक्त वर्णित आराजियात को श्री रामा ने अपने पक्ष में श्री मिठुदास वैष्णव द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर मुझ वादी को विक्रयपत्र दिनांक 09.01.1956 के जरिये हस्तान्तरित कर उनका स्वामित्व, हक एवं कब्जा सौंप दिया था।

यह कि श्री मिठुदास द्वारा विक्रय की गई वाद ग्रस्त आराजियात किता 4 में से आराजी साबिक नं0 38 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा तथा आराजी नं0 39 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा तन्हा मिठुदास पिता गिरधारीदास बैरागी के खातेदारी हक से संवत् 2031 से 2034 की जमाबंदी मं दर्ज रेकार्ड है। पूर्व में संवत् 2023 से 2026 की जमाबंदी में यह दोनों आराजियात गिरधारीदास पिता भज्जनदास बैरागी के नाम दर्ज रेकार्ड थी, जो जरिये इन्तकाल संख्या 43 दिनांक 27.02.1967 को मिठुदास पिता गिरधारीदास के नाम परिवर्तित की गई, जिसका अंकन इस जमाबंदी में किया हुआ हैं।

यह कि आराजी साबिक नं0 31 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा में गिरधारीदास पिता भज्जनदास तथा तुलसीदास पता मोडीराम का 1/24 हिस्सा संवत् 2023 से 2026 की जमाबंदी में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। यह हिस्सा तुलसीदास के फोत हो जाने के आधार पर जरिये इन्तकाल संख्या 40 के विरासत से गोपीदास के नाम तथा गिरधारीदास का हिस्सा जरिये इन्तकाल संख्या 42 दिनांक 27.02.1967 से मिठुदास पिता गिरधारीदास के नाम परिवर्तित किया गया। यह पूरा 1/4 हिस्सा भी मिठुदास द्वारा अपना ही बताते हुए रामा को हस्तान्तरित कर दिया था।

यह कि आराजी साबिक कमांक 31 के साथ ही आराजी नं0 19 व 20 रकबा 51 बीघा 1 बिस्वा भी जमाबंदी में उक्त गिरधारीदास एवं तुलसीदास के नाम पर अंकित थी। इस प्रकार कुल भूमि 86 बीघा 9 बिस्वा भूमि का 1/24 भाग मिठुदास द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 20.06.1957 द्वारा रामा के पक्ष में तत्पश्चात् राजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 09.01.1956 के माध्यम से रामा द्वारा मुझ वादी के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया गया था और इन तीनों आराजियात के क्षेत्रफल के 1/24 हिस्से से बनने वाले क्षेत्रफल के आधार पर ही रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों में इन भूमियों का रकबा मिठुदास द्वारा रामा के पक्ष मे लिखे गये विक्रयपत्र में 3 बीघा 10 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

अंकित किया गया परन्तु रामा द्वारा मुझ वादी के पक्ष में जो विक्रयपत्र लिखा गया, उसमें सेवन से 3 बीघ लगानी 3 आना अंकित कर दने से रका 11 बीघा 10 बिस्वा की रजिस्ट्री रामा द्वारा मुझ वादी के पक्ष में करवाई गई। परन्तु वास्तव में चरण संख्या 2 में वर्णित आराजियात किता 4 रकबा 12 बीघा पर मुझ वादी का कब्जा निरन्तर , निर्विघ्न रूप से गत 50 साल से भी अधिक समय से चला आ रहा है।

मै वादी अपने पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 09.01.1959 एवं कब्जा मुखालफान के आधार पर वादग्रस्त आराजियात का कानूनी रूप से स्वामी बन जाने के फलस्वरूप वाद ग्रस्त आराजियात को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम खातेदारी से दर्ज कराने का अधिकारी हूँ। अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के विरूद्ध वादी के पक्ष में स्वत्व घोषणा की डिक्री पारित कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं।

यह कि मौजा सांगास पहले माफी का गांव था। माफीदार द्वारा आराजी साबिक नं0 37 क्षेत्रफल 1 बीघा गिरधारीदास के पूर्वजो को खड़मदारी हक से दी गई थी। वे मन्दिर की पूजा भी करते थे, जिससे उक्त आराजी बहैसियत खड़मदार पुराजी के तौश्र पर माफीदार के रेकार्ड में दर्ज चली आ रही थी।

यह कि खड़मदार को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रभावशील होने से पहले से अपने आधिपत्य में चली आ रही आराजियात को हर प्रकार से हस्तान्तरित करने से पूर्व आधिकार प्राप्त थे। जिससे माफी रिज्युम होने के समय खड़मदार को उन पर स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हा जाते थे। इस आधार पर वाद ग्रस्त आराजी साबिक नं0 37 खड़मदार मिठुदास के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज कर दी जानी थी किन्तु तहसील सहाड़ा में मौजूद राजस्व रेकार्ड में इस आराजी को मिठुदास खड़मदार पुजारी के नाम से हटाकर प्रतिवादी संख्या 11 चारभुजा स्थानदेह के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज कर दी। यह इन्द्राज अवैधानिक होकर मुझ वादी के मुकाबले में शून्य एवं प्रभावहीन है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 11 के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री जारी कराना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 पूर्व की भांति भविष्य में वाद ग्रस्त आराजियात पर ऋण प्राप्त करने य[illegible] प्रतिफल प्राप्त करने पर पूरी तरह आमदा है, जिससे उन्हें स्थायी [illegible] द्वारा पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि वे आयन्द[illegible] किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या [illegible] अपने रहन शुदा आराजियात को ऋण वसूली के लिये विक्रय नहीं करने [illegible] तथा प्रतिवादी संख्या 13 को अन्य प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का हस्तान्तरण प्रलेख रजिस्ट्री हेतु पेश करने पर उसकी रजिस्ट्री करने से मना करने देने हेतु पाबंद किया जाय।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि उक्तानुसार वर्णित आराजियात के साबिक नंबर लिखे गये है, उनके मुकाबले में भू–प्रबंध के दौरान इन आराजियात के नये नंबर कायम कर दिये गये है जो निम्नानुसार हैः–

साबिक आराजी नं0	क्षेत्रफल	नये नम्बर	क्षेत्रफल
37	एक बीघा	185 186	1.12 हे0
38	एक बीघा छः बिस्वा	183 184	1.62 हे0
		योग	2.74 हे0
19	इक्कावन बीघा	98 लगायत 114 व 115/879	10.03 हे0 1.00 हे0
		योग	11.03 हे0
31	पैंतीस बीघा आठ बिस्वा	116 लगायत 119 143 लगायत 148 188 लगायत 192 व 115/894	1.79 हे0 3.10 हे0 2.44 हे0 0.32 हे0
		योग	7.65 हे0

अतः वादी की सादर प्रार्थना हैं कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार से घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जाय तथा प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जाय–

आराजी साबिक नं0 37 क्षेत्रफल 1 बीघा, आराजी संख्या 38 क्षेत्रफल 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 39 क्षेत्रफल 6 बीघा 4 बिस्व कुल क्षेत्रफल 8 बीघा 10 बिस्वा का तथा आराजी साबिक नं0 19 व 20 क्षेत्रफल 51 बीघा 1 बिस्वा तथा आराजी संख्या 31 क्षेत्रफल 35 बीघा 8 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 86 बीघा 9 बिस्वा के 2/5 भाग के क्षेत्रफल 3 बीघा 10 बिस्वा का वादी खातेदार हैं।

पूर्व राजस्व रेकार्ड में आराजी साबिक नं0 37 का खातेदार प्रतिवादी संख्या 11 होने का व आराजी नं0 38 व 39 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के होने का तथा आराजी साबिक संख्या 19, 20 [illegible] शामिल आराजियात के 2/5 भाग के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 [illegible] होने के इन्द्राज वादी के मुकाबले अवैध एवं शून्य होकर प्रभावहीन है अतः इन्द्राज को खारिज किया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
...पुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने धोखास्पद तरीके से प्रतिवादी संख्या 12 के पक्ष में आराजी नये नंबर 185 व 186 क्षेत्रफल 1.62 हे0 में निहित अपने हिस्से को रहन रखकर ऋण राशि प्राप्त कर ली, जिससे राजस्व रेकार्ड में इन आराजियात के प्रतिवादी संख्या 12 के हक में रहन बिलकब्ज होने का अंकन किया गया हैं। यह इन्द्राज वादी के मुकाबले में अवैध एवं शून्य होकर प्रभावहीन है। अतः यह इन्द्राज खारिज किया जाए।

भूप्रबंध के दौरान वाद ग्रस्त आराजियात के साबिक नम्बरान के बजाए नये नम्बर कायम हो चुके है, जिसका विवरण वादपत्र के चरण क्रमांक 18 में किया गया हैं। तद्नूसार मौजूदा राजस्व रेकार्ड में इस प्रकार अंकन किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है आराजी नं0 183, 184 तथा आराजी नं0 185 व 186 क्षेत्रफल 2.74 हे0 का इन्द्राज वादी के नाम पर किया जाए तथा आराजियात नं0 98 लगायत 114 व 115/879 क्षेत्रफल 11.03 हे0 एवं आराजियात नं0 116 लगायत 119, आराजी नं0 143 लगायत 148, आराजियात नं0 188 लगायत 192 व आराजी नं0 115/894 क्षेत्रफल 7.65 हे0 संयुक्त क्षेत्रफल 18.68 हे0 के 2/5 भाग का इन्द्राज वादी के नाम पर किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाए किवे वाद ग्रस्त आराजियात या उसके किसी हिस्से को किसी अन्य के पक्ष में हस्तान्तरित नहीं करें। प्रतिवादी संख्या 12 अपने नाम पर रहन बिलकब्ज दर्ज आराजियात को अपने ऋण की वसूली हेतु निलाम करने की किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें, इस हेतु उसके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाय। प्रतिवादी संख्या 13 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाय कि वह प्रतिवादीगण द्वारा वाद ग्रस्त आराजियात अथवा उसके हिस्से के बारे में निष्पादित हस्तान्तरण प्रलेख प्रस्तुत किये जाने पर उसकी रजिस्ट्री करने से मना कर दे।

उक्तानुसार प्रकरण मुकदमा नं0 139/09 से पंजीबद्ध किया जाकर उपस्थिति हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एवं 6 लगायत 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये । प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जवाब पेश कर [illegible] खारिज करने हेतु निवेदन किया । प्रतिवादी संख्या 11, 12 को जवाब [illegible] दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने से [illegible] 13 द्वारा दिनांक 18.07.2011 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी को रामा द्वरा विक्रय किया गया है। रामा के नाम की जमाबंदी की [illegible]ल नहीं होने से दावा चलने योग्य नहीं है पुजारी की भूमि हस्तान्तरण योग्य नहीं है। पुराने खसरा नं0 19, 20 रामा द्वारा विक्रय किया जाना साबित नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

अतः वाद पत्र खारिज फरमावें। वक्त दौरान कार्यवाही वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2011 को पेश कर निवेदन किया कि दौराने कार्यवाही मुकदमा प्रतिवादी क्रम एक लगायत पांच नें वादपत्र के साथ संलग्न विक्रयपत्रों को सही होने का विश्वास हो जाने पर मुझे विक्रय की गई आराजियात में से साबिक आराजी संख्या 37 जिसके नये नम्बर 185 व 186 है को चारभुजा जी स्थान देह के नाम दर्ज कर देने से इस आराजी को छोड़कर शेष आराजियात के नये कायम हुए नम्बरान के मेरे पक्ष में अजरेनो विक्रय पत्र निष्पादित कर उनकी रजिस्ट्री करा दी।

अस्तु अब केवल साबिक आराजी संख्या 37 जिसके नये नम्बर 185 व 186 क्षेत्रफल 0.22 हे0 जो राजस्व रेकार्ड में चारभुजा जी स्थान दे हके नाम पर वर्तमान में दर्ज है। विवादास्पद रह गई हैं जिसके संबंध में निणर्य प्रतिपादित किया जाना हैं। अतः सादर प्रार्थना है कि हाल आराजी नं0 185 व 186 क्षेत्रफल 0.22 हे0 का खातेदार मुझ वादी को घोषित किया जाय और तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में हो रहे इन्द्राज चारभुजाजी स्थान दे हके स्थान पर मुझ वादी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज करने के आदेश प्रतिपादित किये जावें। साथ ही वादी द्वारा इसी दिनांक 26.07.2011 को प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा दिनांक 18.07.2011 को पेश किया जिसे निर्धारित अवधि में पेश नही करने से रेकार्ड पर नहीं लेने हेतु निवेदन किया गया।

उक्तानुसार दोनो प्रार्थना पत्रो के संबध में बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावतली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया जिससे प्रथम विवेचना वादी /प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत आराजी नं0 185 – 186 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु पेश किये गये प्रार्थना पर पर खमीचीन होने से विवेचन किया जाता है जिसके अनुसार वादी/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया हैं कि मूलवाद में वर्णित आराजियात में से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से वादी/प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर लिया कतिपय शेष रही आराजियात हेतु अनुतोष चाहा गया हैं। प्रकरण के संलग्न वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित समस्त आराजियात में खातेदारी अधिकार चाहने की इस्तदुआ की है तथा उन्हीं आराजियात पर निषेधाज्ञा चाही जाकर हस्तानान्तरण नहीं किये जाने का अनुतोष चाहा। जबकि स्वयं वादी ने ही प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से वाद वर्णित [illegible] क्रय किया हैं इस प्रकार वादी प्रार्थी स्वयं ने वादपत्र में अंकित [illegible] का उल्लंघन किया है ऐसी स्थिति में वादी/प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से दिनांक 10.10.2011 को वाद पत्र खारिज किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर 114/2012(2012/00152)
वाद अन्तर्गत धारा 88,89,15,19,188 आर.टी.ए.

उक्तानुसार प्रकरण संख्या 139/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.11.2011 के विरूद्ध वादी द्वारा अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा में किये जाने से माननीय न्यायाल द्वारा अपील संख्या–आरटीए/284/2011 से पंजीवद्ध किया जाकार दिनांक 12.09.2012 को विवेचना करते हुए कि अधिस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र वाद भावना का उल्लंघन मानते हुए सम्पूर्ण वाद खारिज कर दिया जो उचित नहीं है। वादी को अगर यदि कोई रिलिफ किसी अन्य माध्यम से हो जाती है तो उसे कम कराकर शेष रिलिफ मांगने का पूर्णतया अधिकार है का हवाला देते हुए अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2011 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि प्रकरण में तनकियात कायम कर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

जिस पर प्रकरण बाजदायर प्रकरण संख्या 114/2012 (2012/00152) दिनांक 08.11.2012 से किया जाकर उभयपक्ष को सूचित किया गया। उभयपक्ष वादी एवं पेरोकार उपस्थित।

प्रकरण में तनकी कायम की गई जो निम्नानुसार है:–

1. आया वादी हाल आराजी नं0 185, 186 कुल किता 02 कुल रकबा 0.22 हे0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी हैं?

वादी

2. आया मिठूदास पुजारी का नाम दर्ज होने से भूमि हस्तान्तरण योग्य नहीं है।

प्रतिवादी

3. अनुतोष?

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र में तनकियात [illegible] बाद साक्ष्य वादी प्रारंभ की गई। वादी के का0मु0 श्री ललित कुमार [illegible] मेहता द्वारा साक्ष्य वादी में स्वंय अपने बयान पी.डब्ल्यू [illegible] दिलाई गई। मैंने मेरी मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र [illegible] पेश किया जिसमें अंकित तथ्य सही होना स्वीकार करता हूँ। शपथ पत्र पर [illegible] से B मेरे हस्ताक्षर है। मैंने विक्रय पत्र दिनांक 20.06.1957 पेश किया जो प्रदर्श –1 है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.01.1959 पेश किया जो प्रदर्श –2 है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2031–34 पेश की जो प्रदर्श –3 हैं, मृत्यु प्रमाण की प्रमाणित प्रति जो प्रदर्श –4 है। वसीयत पत्र दिनांक 10.12.2012 की प्रति प्रदर्श –5 है, जमाबंदी संवत् 2023 – 26 प्रदर्श –6 है। जमाबंदी संवत् 2031 – 34 प्रदर्श –7 है। जमाबंदी संवत् 2020 – 25 प्रदर्श –8 है। जमाबंदी संवत् 2027 – 30 प्रदर्श –9 है। जमाबंदी संवत् 2031 – 34 प्रदर्श –10 है। जमाबंदी संवत् 2034 – 37 प्रदर्श –11 है। जमावंदी संवत् 2038 – 41 प्रदर्श –12 है। जमाबंदी संवत् 2031 – 34 प्रदर्श –13 है। जमाबंदी संवत् 2023 – 26 प्रदर्श –14 है। जमाबंदी संवत् 2024 – 27 प्रदर्श –15 है। जमाबंदी संवत् 2037 – 41 प्रदर्श –16 है। जमाबंदी संवत् 2005 – 10 प्रदर्श –17 है। जमाबंदी संवत् 2005 – 10 प्रदर्श –18 है। जमाबंदी संवत् 2005 –10 खाता संख्या 51 प्रदर्श –19 है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श – 20 हैं । तुलनात्मक क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–21 है। अखबार छाया नोटिस प्रति प्रर्दश–22 है।

जिसपर जिरह प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार सरकार द्वारा की गई यह सही हैं कि वर्तमान आराजी संख्या 185 रकबा 0.08 हे0, आराजी संख्या 186 रकबा 0.14 हे0 के पुराने नं0 37 रकबा 1 बीघा था। जो चारभुजा स्थानदेह के नाम पर दर्ज थी। यह कहना गलत हैं कि मिठूदास पिता गिरदारी दास पुजारी हो बल्कि वह खड़मदार था और मिठूदास का ही उस पर कब्जा था। यह कहना सही हैं कि मिठूदास ने यह जमीन रामा पिता खेमाजी लुहार को रजिस्ट्री करवा दी। यह कहना गलत हैं कि रामा लुहार ने इस जमीन के साथ अन्य जमीन मेरे पिता को नहीं बेची हो बल्कि इस जमीन के साथ कुल साढे गयारह बीघा जमीन मेरे पिता ने रामा लुहार से 900/– रूपये में खरीदी। यह कहना गलत हैं कि भूमि पर कब्जा मेरा नहीं हो। बल्कि भूमि पर पहले मेरे पिता एवं वर्तमान में मेरा चला आ रहा हैं। यह सही हैं कि वर्तमान आराजी संख्या 185, 186 का खाता मेरे नाम पर नही है लेकिन अजखुद कहा कि कब्जा मेरा हैं और जमीन चारभुजाजी के नाम पर है। यह सही है कि खाता मेरे नाम नही खुला क्यों नहीं खुला मेरे पिताजी जानते है। यह कहना गलत है कि पुजारी का नाम होने से मिठूदास का नाम खाते से हटा दिया मिठूदास तो खड़मदार था सरकार ने उसका नाम गलत हटाया। यह कहना गलत हैं कि मैं चारभुजा की जमीन हड़पना चाहता हूँ। यह जमीन मेरे पिता जी ने जरिये रजिस्ट्री खरीदी और कब्जा चला आ रहा है। मेरे और भाई भी हैं लकिन मेरे पिता ने जरिये वसियत सारी भूमि मुझे ही देदी जिससे यह भी शामिल है।

इसी कम में वादी की ओर से कैलाश चन्द्र पिता सुन्दर लाल मेहता द्वारा साक्ष्य वादी में अपने बयान पी.डब्ल्यू – 2, लेखबद्ध करा शपथ दिलाई गई। मेरे पिता सुन्दरलाल जी ने ग्राम सांगास में कई जमीने खरीदी जिसमे पुराने आराजी नं0 37 करवा 1 बीघा भी है जो [illegible] खरीदी थी। तभी से इस आराजी पर मेरे पिता का एंव अब मेरे भाई [illegible] का कब्जा चला आ रहा हैं। यह भूमि ललित कुमार की [illegible] इसके नये नाम 185, 186 रकबा 0.22 हे0 है। [illegible] रहता हूँ। इसलिये ललित के कब्जे के बारे में जानता हूँ। मेरे पिता ने इ[illegible]जमीन की वसीयत मेरे भाई ललित के नाम कर दी हैं। पहले यह जमीन खड़मदार मीठूदास पित गिरधारीदास के नाम थी खड़मदारी से उसने यह जमीन राम पिता रूपा लुहार को बैची जिनसे मेरे पिता ने खरीदी थी। लेकिन उनके नाम पर खाता नहीं खुला था इसलिए दावा पेश करना पड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जिसपर जिरह प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार सरकार द्वारा की गई यह सही हैं कि वर्तमान आराजी संख्या 185 रकबा 0.08 हे0, आराजी संख्या 186 रकबा 0.14 हे0 के पुराने नं0 37 रकबा 1 बीघा था। उक्त जमीन चारभुजा स्थानदेह के नाम पर दर्ज थी। यह कहना गलत हैं कि मेरे पिता ने जमीन नहीं खरीदी हो बल्कि उन्होने रामा लुहार से जरिये रजिस्ट्री खरीद कर कब्जा काश्त किया है। यह कहना सही है कि वसीयत रजिस्टर्ड नही है अज खुद कहा कि वसीयत की कानुन में रजिस्टर्ड की आवश्यकता नहीं है अन्य जमीनो का खाता भी ललित के नाम इसी वसीयत के आधार पर न्यायालय के आदेश से खुला है।

इसी कम में वादी की ओर से दिनेश कुमार क्षोत्रिय पिता रामेश्वर लाल ब्राह्मण द्वारा साक्ष्य वादी में अपने बयान पी.डब्ल्यू – 3, लेखबद्ध करा शपथ दिलाई गई। मैं शंकरलाल जी , सुन्दरलाल जी व ललित कुमार मेहता को जानता हूँ। सुन्दरलाल जी अधिवक्ता थे। उन्होने दिनांक 10.12.2012 को एक वसीयत मेरे व कुलदीप शर्मा के सामने हरिसिंह अर्जी निवेश से टाईप करवाई थी। वे हमारे सामने ही हस्ताक्षर किये। प्रदर्श – 5 पर A से B सुन्दरलाल जी के हस्ताक्षर है। C से D मेरे हस्ताक्षर है। E से F डीड राईटर हरीसिंह के हस्ताक्षर है। यह वसीयत श्री सुंदरलालजी ने स्वयं की इच्छा व राजीखुशी टाईप करवा हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये थे। यह वसीयतनामा ललित कुमार के पक्ष में निष्पादित किया ललित जी सुन्दरलाल जी के ही पुत्र है।

जिसपर जिरह प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार सरकार द्वारा की गई यह कहना सही है कि वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है। यह कहना गलत हैं कि वसीयत हमारे सामने नहीं लिखी। वसीयत में जमीन के अतिरिक्त उनकी पत्नि के जर जेवर भी जमीन के साथ ललित कुमार को देने की बात अंकित की हैं।

इसी कम में वादी की ओर से कुलदीप शर्मा पिता श्यामसुन्दर शर्मा द्वारा साक्ष्य वादी में अपने बयान पी.डब्ल्यू – 4, लेखबद्ध करा शपथ दिलाई गई। मैं शंकरलाल जी , सुन्दरलाल जी व ललित कुमार मेहता को जानता हूँ। सुन्दरलाल जी अधिवक्ता थे। उन्होने दिनांक 10.12.2012 को एक वसीयत मेरे व दिनेश कुमार जी के सामने हरिसिंह डीड राईटर से टाईप करवाई थी। वे हमारे सामने ही हस्ताक्षर किये। प्रदर्श – 5 पर A से B सुन्दरलाल जी के हस्ताक्षर है। G से H मेरे हस्ताक्षर है। C से D दिनेश कुमार के हस्ताक्षर है। E से F डीड राईटर हरीसिंह के हस्ताक्षर है। यह वसीयत श्री सुंदरलालजी ने स्वयं की इच्छा व राजीखुशी टाईप करवा अपने पुत्र श्री ललित कुमार मेहता के पक्ष में निष्पादित करवाई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

जिसपर जिरह प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार सरकार द्वारा की गई यह कहना सही है कि वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है। यह कहना गलत हैं कि वसीयत हमारे सामने नहीं लिखी। वसीयत में जमीन के साथ उनकी पत्नि के जर जेवर भी जमीन के साथ ललित कुमार को देने की बात अंकित की हैं।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) ... जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर 114 / 2012(2012 / 00152)
वाद अन्तर्गत धारा 88,89,15,19,188 आर.टी.ए.

प्रतिवादी को साक्ष्यप्रतिवादी हेतु अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं अतः साक्ष्यप्रतिवादी बंद की जाती है।

अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र में बहस सुनाये जाने हेतु निवेदन किया। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष कारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादी में स्वंय अपने बयान पी.डब्ल्यू – 1 तथा वादी की आरे से बयान पी0डबल्यू 2 से 4, लेखबद्ध करा प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 20.06.1957 पेश किया जो प्रदर्श –1 है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.01.1959 पेश किया जो प्रदर्श –2 है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2031–34 पेश की जो प्रदर्श –3 हैं, मृत्यु प्रमाण की प्रमाणित प्रति जो प्रदर्श –4 है। वसीयत पत्र दिनांक 10.12.2012 की प्रति प्रदर्श –5 है, जमाबंदी संवत् 2023 – 26 प्रदर्श –6 है। जमाबंदी संवत् 2031 – 34 प्रदर्श –7 है। जमाबंदी संवत् 2020 – 25 प्रदर्श –8 है। जमाबंदी संवत् 2027 – 30 प्रदर्श –9 है। जमाबंदी संवत् 2031 – 34 प्रदर्श –10 है। जमाबंदी संवत् 2034 – 37 प्रदर्श –11 है। जमाबंदी संवत् 2038 – 41 प्रदर्श –12 है। जमाबंदी संवत् 2031 – 34 प्रदर्श –13 है। जमाबंदी संवत् 2023 – 26 प्रदर्श –14 है। जमाबंदी संवत् 2024 – 27 प्रदर्श –15 है। जमाबंदी संवत् 2037 – 41 प्रदर्श –16 है। जमाबंदी संवत् 2005 – 10 प्रदर्श –17 है। जमाबंदी संवत् 2005 – 10 प्रदर्श –18 है। जमाबंदी संवत् 2005 –10 खाता संख्या 51 प्रदर्श –19 है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श – 20 हैं। तुलनात्मक क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 21 है। अखबार छाया नोटिस प्रति प्रर्दश–22 है। कुल 22 प्रदर्श पेश किये। साथ ही निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कर निवेदन किया कि खड़मदार को खातेदार घोषित किया:–

Board Of Revenue For Rajasthan, Ajmer – Shivnath & Ors. V/S State Of Rajasthan & Anr. 2016(1)RRT 537

तथा साथ ही बयान गवाहों को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2011 में चाही गई रिलीफ अनुसार ग्राम सांगास तहसील सहाड़ा की हाल आराजी नं0 185 व 186 क्षेत्रफल 0.22 हे0 का खातेदार मुझ वादी को घोषित किया जाय और तदनुसार राजस्व रेकार्ड में [illegible] स्थान देह के स्थान पर मुझ वादी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज कर[illegible] प्रतिपादित किये जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के [illegible] बाबत् निवेदन किया। प्रतिवादी पेरोकार सरक[illegible] एवं साक्ष्यवादी पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
शाहपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

मैंने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एंव वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव बयान गवाहान का परीक्षण किया गया व पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया गया। तनकीवार निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

तनकी नम्बर – 1

1. **आया वादी हाल आराजी नं0 185, 186 कुल किता 02 कुल रकबा 0.22 हे0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी हैं?**

वादी

तनकी नम्बर – 1 को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी ने उक्त तनकी को साबित करने हेतु कुल 22 साक्ष्य प्रस्तुत किये तथा गवाह साक्ष्य व वसीयत पेश की जिससे उक्त तनकी नं. 1 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर –2

1. आया मिठूदास पुजारी का नाम दर्ज होने से भूमि हस्तान्तरण योग्य नहीं है।

प्रतिवादी

तनकी नम्बर –2 को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने इस हेतु कोई साक्ष्य या जवाब पेश नहीं किया। वादी ने उक्त तनकी को अपने पक्ष में निर्णित कराने हेतु न्यायिक दृष्टांत Board Of Revenue For Rajasthan, Ajmer – Shivnath & Ors. V/S State Of Rajasthan & Anr. 2016(1)RRT 537 को प्रस्तुत किया। अतः तनकी नं. 2 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

चूंकि वादपत्र की उक्त दोनों तनकिया वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतएवं

:: आदेश::

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88,89,15,19,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। ग्राम सांगास तहसील सहाड़ा की हाल आराजी नं0 185 व 186 क्षेत्रफल 0.22 हे0 का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में हो रहे इन्द्राज चारभुजाजी स्थान देह के स्थान पर वादी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। उक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2021 [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद [illegible] के [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पचौली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 114/2012 (2012/00152) बाजदायर दिनांक 08.11.2012
वाद– अन्तर्गत धारा 88,89,15,19,188 आर.टी.ए.

संशोधित शीर्षक

1. सुन्दरलाल आत्मज माधोलाल मेहता निवासी गंगापुर मृतक के बजायः–
   1/1. ललितकुमार आत्मज सुन्दरलाल मेहता निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. श्रीमती जमनी विधवा मिठुदास वैष्णव
2. श्रीमती कमला विधवा लालुदास वैष्णव
3. मदनदास उर्फ पप्पु आत्मज बालुदास वैष्णव
4. लक्ष्मणदास उर्फ राजुदास आत्मज बालुदास वैष्णव
5. नारायणदास आत्मज गोपीदास वैष्णव
   सर्व निवासी सांगास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. कालु आत्मज चुना लुहार निवासी जीवा का खेड़ा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद
7. जगदीश आत्मज चुना लुहार निवासी जीवा का खेड़ा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद
8. रामचन्द्र आत्मज चुना लुहार निवासी जीवा का खेड़ा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद
9. श्रीमती संतोषी पुत्री चुना लुहार पत्नि भैरूलाल लुहार निवासी गोगाथला तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद
10. श्रीमती नोली बेवा चुना लुहार निवासी जीवा का खेड़ा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद
11. चारभुजा जी स्थान देह अवयस्क जरिये संरक्षक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर, जिला उदयपुर।
12. सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक, गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

उपस्थिति– अधिवक्ता वादी श्री ...तसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रतिवादीगण: ... अनुपस्थित
... सरकार

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

1.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर 114 / 2012(2012 / 00152)
वाद अन्तर्गत धारा 88,89,15,19,188 आर.टी.ए.

डिक्री दिनांक 25.06.2021

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह चुण्डावत एवं प्रतिवादी पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 25.06.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ---x--- और इस वाद के खर्च लेखे -----x--- रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर -----x------ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित -----x------ द्वारा -----x------ को दी जाए।

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88,89,15,19,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। ग्राम सांगास तहसील सहाड़ा की हाल आराजी नं0 185 व 186 क्षेत्रफल 0.22 हे0 का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में हो रहे इन्द्राज चारभुजाजी स्थान देह के स्थान पर वादी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 25.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0) 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner